Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 110/2019

श्री रितेश कुमार पुत्र श्री रतनलाल, जाति– जैन, निवासी– ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला– अजमेर।

......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय पीसांगन जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री पुष्पेन्द्र सोनी, श्री सर्वेश्वर प्रसाद सिंह राठौड – अभिभाषक प्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 17.07.2020

संक्षिप्त मे प्रार्थना पत्र मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–अ रा0 का0 अधिनियम 1955 का अप्रार्थी के विरूद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की आराजी ग्राम नाड पटवार हल्का भटसुरी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– करनोस तहसील पीसांगन के खाता नम्बर 276 नया 263 पुराना के खसरा नम्बर 1551/31, 1552/31 व 30/1327 कुल किता 3 रकबा 1.70 हैक्टर जो कि ग्राम नाड मे ग्राम प्रतापपुरा की सीमा पर स्थित है। उक्त वर्णित भूमि पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 12, 27, 34, 30 मे से होकर जाना पडता है जो कि आज वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे सरकारी काबिल काश्त भूमि के रूप मे दर्ज है। प्रार्थी अपनी आराजी का संपरिवर्तन करा उस पर निमार्ण करना चाहता है। परन्तु प्रार्थी को आने जाने का रास्ता नही होने से मुख्य सडक से खसरा संख्या 12, 27, 34, 30 मे से 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत तक की लम्बाई मे कीमतन रास्ता चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर खसरा नम्बर 12, 27, 34, 30 मे से 15 फुट चौडा कीमतन रास्ता आवंटन करके राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त रास्ते को दर्ज करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार पीसांगन से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। तहसीलदार पीसांगन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही प्रार्थी के लिये सबसे नजदीक है। राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 3 (52) राज– 6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार अगर कोई खातेदार काश्तकार सरकारी सिवायचक आराजी से रिकार्डेड रास्ता चाहते है तो रास्ते की भूमि का प्रचलित डी.एल.सी. से दुगूनी राशि राजकोष में जमा करवाकर रास्ता प्राप्त कर सकता है। तहसील राजस्व लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त हुयी कि उक्त रास्ते के एवज में रास्ते में चाही गयी आराजी के लिये डी.एल.सी. से दोगुनी राशि 62352/– अक्षरे बासठ हजार तीन सौ बावन रूपये मात्र की राशि राजकोष मे जमा कराया जाना उचित है। प्रार्थी ने राशि 62360/– अक्षरे बासठ हजार तीन सौ साठ रूपये राजकोष मे जमा करा कर चालान पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसांगन को आदेश दिये जाते है कि ग्राम नाड, पटवार हल्का भटसुरी, तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 12, 27, 34, मे से 15 फुट चौड़ा रास्ता वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव नक्शे मे रास्ते का अंकन किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.02.11 17:31:30 IST
Reason: SelfAttested